"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 55] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 8 फरवरी 2018 — माघ 19, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2018

आदेश

क्रमांक 1397/3975/21-ब (एक)/छ. ग./2017 . — राज्य शासन, निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को वर्ष 2018 में अधिवार्षिकी आयु, 60 वर्ष, पूर्ण करने के फलस्वरूप तालिका में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ क्रमांक 4 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की, एतद्द्वारा, स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्रमांक (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम (2)	जन्मतिथि (3)	सेवानिवृत्ति का दिनांक (4)
01	श्री सतीश कुमार सिंह	15-07-1958	31-07-2018

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.